<u>**न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बलरामपुर**</u>

उपस्थितः-उत्कर्ष चतुर्वेदी (उच्चतर न्यायिक सेवा)

JO Code No. UP 1882

कम्प्यूट्रीकृत दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या-29/2025

दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या-27/2025

UPBP010008792025

नूरजहां पुत्री जिया उल्लाह निवासी ग्राम-मनकी, थाना-गौरा चौराहा, जनपद-बलरामपुर

.... पुनरीक्षणकत्री।

प्रति

1. उत्तर प्रदेश राज्य
2. चन्द्रशेखर यादव (पुलिस) तत्समय तैनाती थाना-गौरा चौराहा, जिला-बलरामपुर
3. राम उजागर पुत्र गोवर्धन निवासी ग्राम-मनकी, थाना-गौरा चौराहा, जिला-बलरामपुर
4. अनुराग यादव पुत्र साधूराम यादव निवासी ग्राम-आल्लानगर मश० हरनहवा सुस्ता, थाना-गौरा चौराहा, जिला-बलरामपुर
5. डॉ० ए०के० यादव रेडियोलॉजिस्ट, संयुक्त चिकित्सालय, जनपद-बलरामपुर

...............विपक्षीगण।

<u>**निर्णय**</u>

1. प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण, विद्वान सिविल जज (सी०डि०)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बलरामपुर द्वारा मुकदमा संख्या-1417/2024 सरकार प्रति शफीउल्ला उर्फ जुमाई आदि मु०अ०सं०-51/2023 अंतर्गत धारा-147, 323, 427, 452, 342, 354, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता, थाना-गौरा चौराहा, जनपद-बलरामपुर के प्रकरण में पारित आदेश दिनांकित 18.01.2025 के विरूद्ध संस्थित किया गया है।

2. हस्तगत दाण्डिक पुनरीक्षण की उत्पत्ति निम्नलिखित तथ्यों के अधीन हुई हैः- पुनरीक्षणकत्री/वादिनी मुकदमा नूरजहां द्वारा प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा-194(9) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वास्ते अग्रेतर विवेचना इस आशय का दिया गया कि घटना दिनांक 11.09.2022 को प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्तगण के द्वारा समय लगभग 01 बजे बुरी तरह से मारा-पीटा गया, परन्तु प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं हुआ। थाना-गौरा चौराहा की पुलिस (चन्द्रशेखर यादव) मौके पर गए और अपराधियों के चंगुल से छुड़ाकर नज्जम के घर से लाए, परन्तु उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया जिसके लिए वह पदासीन थे और जाकर के धमकी दिए कि नामित अभियुक्त राम उजागर के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य है, मात्र

Digitally signed by UTKARSH CHATURVEDI
Date: 2026.07.20 17:10:36 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

मोबाइल का लोकेशन दर्शित करके प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्त राम उजागर का नाम विवेचक ने विलोपित कर दिया। यह विवेचना का विषय है कि जो मोबाइल दर्शित किया गया है वह मोबाइल राम उजागर द्वारा ही संचालित किया जा रहा था अथवा नहीं। जहां तक अन्यत्र उपस्थित होने का अभिवाक है, वह विचारण के स्तर पर देखा जाना है। प्रथम दृष्टया साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है, इतनी बड़ी घटना कारित होने के बाद थाने द्वारा अभियुक्तगण से मिलकर न तो अभियोग पंजीकृत किया गया है और न ही मेडिकल कराया गया है। पुनरीक्षणकत्री ने दिनांक 20.09.2022 को अपने पिता के साथ जिलाधिकारी बलरामपुर को लिखित प्रार्थनापत्र दिया। जिलाधिकारी बलरामपुर द्वारा अपने ही कार्यालय से प्रार्थनापत्र को आई०जी०आर०एस० पोर्टल पर ऑनलाइन कर दिया। जिलाधिकारी द्वारा पोर्टल पर ऑनलाइन करने के उपरांत दिनांक 21.09.2022 को मेडिकल बोर्ड गठित किया गया, जिसमें 03 डॉक्टर नामित किए गए परन्तु नामित पैनल द्वारा प्रभावी नेता अनुराग यादव के प्रभाव में मेडिकल नहीं किया गया। पुनः मेडिकल बोर्ड दिनांक 28.09.2022 के लिए डॉ० ए०के० यादव, डॉ० सुनील कुमार, डॉ० अरूण कुमार, डॉ० नैन्सी त्रिपाठी का बोर्ड गठित हुआ और बोर्ड द्वारा मेडिकल के लिए पुनरीक्षणकत्री अपने पिता के साथ प्रस्तुत हुई। डॉ० ए०के० यादव ज्यो ही मेडिकल करना प्रारम्भ किए कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्त अनुराग यादव का मोबाइल के द्वारा फोन डॉ० ए०के० यादव के पास आया और डॉ० ए०के० यादव ने यह कहकर मेडिकल करने से इंकार कर दिया कि पूर्व में मेडिकल का रिपोर्ट नहीं है। यहाँ यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि जब पुनरीक्षणकत्री अपना मेडिकल कराने के लिए थाने से लेकर जिले के उच्चस्थ अधिकारी/जिलाधिकारी तक फरियाद करती रही और किसी सरकारी अस्पताल में मेडिकल नहीं किया गया, यह विवेचना का विषय था कि दो-दो बार मेडिकल बोर्ड गठित होने के उपरान्त चोटहिल व्यक्ति का मेडिकल न किया जाना तथा दिनांक 28.09.2022 डॉ० ए०के० यादव रेडियोलॉजिस्ट के मोबाइल पर किसका-किसका फोन आया और क्या चोटहिल का मेडिकल करने के लिए जिसका पहले से मेडिकल न हुआ हो, बोर्ड को मेडिकल करने का दायित्व है, अथवा नहीं। इन बिन्दुओं पर डॉ० ए०के० यादव के मोबाइल का लोकेशन तथा राजनैतिक व्यक्ति अनुराग यादव के मोबाइल का लोकेशन सी०डी०आर० विवेचना का विषय था, जिसकी विवेचना विवेचक द्वारा नहीं किया गया, जबकि जिलाधिकारी के द्वारा दिये गये आदेश और आई०जी०आर०एस० पोर्टल पर ऑनलाइन होने के उपरान्त तथा मेडिकल बोर्ड गठित होने के उपरान्त पीड़ित व्यक्ति का मेडिकल न होना पद के दुरूपयोग और राजनैतिक प्रभाव की पराकाष्ठा है। इस बात का पर्याप्त साक्ष्य है कि चन्द्रशेखर पुलिसकर्मी द्वारा पीड़िता को अभियुक्तगण से छुड़ाकर लाये जाने का विषय विवेचना का विषय था, परन्तु विवेचक द्वारा सही एवं निष्पक्ष विवेचना न करके प्रथम सूचना में नामित अभियुक्त राम उजागर, चन्द्र शेखर यादव सिपाही, डॉ० ए०के० यादव और अनुराग यादव के संलिप्तता के सम्बन्ध में अग्रेतर विवेचना कराया जाना आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि पुनरीक्षणकत्री ने उक्त के सम्बन्ध में एक याचिका माननीय उच्च न्यायालय में CMWP. No. 3787/2024 नूरजहाँ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य दायर किया था, जिसमें अग्रेतर विवेचना

के विकल्प पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 29.05.2024 को पुनरीक्षणकत्री की याचिका निस्तारित कर दी गई। अतः याचना की गई है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्तगण राम उजागर, चन्द्रशेखर यादव सिपाही, रेडियालॉजिस्ट डॉ० ए०के० यादव और अनुराग यादव के इस घटना के संलिप्तता के सम्बन्ध में अग्रेतर विवेचना करने का आदेश देने की कृपा करें।

3. विद्वान सिविल जज (सी०डि०)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बलरामपुर द्वारा पुनरीक्षणकत्री के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के उपरान्त अपने पारित आदेश दिनांकित 18.01.2025 के माध्यम से पुनरीक्षणकत्री के प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा-193(9) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को यह निष्कर्ष अवधारित करते हुए निरस्त कर दिया गया है कि, "न्यायालय द्वारा, प्रस्तुत आरोपपत्र पर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा-147, 323, 427, 452, 342, 354, 504 व 506 भा०दं०सं० के अपराध का संज्ञान दिनांक 17.10.2024 को लिया जा चुका है। पत्रावली अभियुक्तगण की उपस्थिति हेतु नियत है, ऐसे में अग्रेतर विवेचना का आदेश किए जाने का कोई विधितः औचित्य प्रतीत नहीं होता है।" उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर पुनरीक्षणकत्री/वादिनी मुकदमा की ओर से यह पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया।

4. पुनरीक्षणकत्री/वादिनी मुकदमा की ओर से पुनरीक्षण में मुख्य रूप से यह आधार लिया गया है कि विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय ने प्रश्नगत आदेश दिनांक 18.01.2025 को पारित करने में गलती किया है और पुनरीक्षणकत्री के प्रार्थनापत्र को निरस्त करके गलती किया है। विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय ने यह अभिमत प्रकट किया है कि प्रश्नगत प्रकरण में संज्ञान लिया जा चुका है, इसलिए अग्रेतर विवेचना का आदेश दिये जाने का विधिक औचित्य नहीं बनता है। इस संबंध में यह कहना है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने विनु भाई हरीभाई मालवीय बनाम गुजरात राज्य 2019 तथा अनन्त थानुर बनाम महाराष्ट्र राज्य 2023 में आरोप प्राप्त होने या संज्ञान लेने के उपरान्त अग्रेतर विवेचना कराया जा सकता है, इस तरह से विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय का आदेश दिनांक 18.01.2025 विधि के विरुद्ध है और निरस्त किए जाने योग्य है। अग्रेतर विवेचना का विषय है, इसलिए विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय ने पुनरीक्षणकत्री का आवेदन निरस्त करके आदेश दिनांक 18.01.2025 पारित करके गलती किया है। विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय ने विधिक मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया है। अतएव पुनरीक्षण याचिका में वर्णित कथनों के आधार पर पुनरीक्षण स्वीकार कर प्रश्नगत आदेश दिनांकित 18.01.2025 को निरस्त किये जाने की याचना की गई।

5. पुनरीक्षणकत्री/वादिनी मुकदमा की ओर से सूची 5ख के माध्यम से प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा-194(9) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता मय शपथ पत्र की सत्य प्रतिलिपि कागज संख्या-5ख/2 ता 5ख/7, आक्षेपित आदेश दिनांकित 18.01.2025 की सत्य प्रतिलिपि कागज संख्या-5ख/8 ता 5ख/9 एवं स्वयं के आधारकार्ड की छायाप्रति कागज संख्या-5ख/10 दाखिल की गई।

6. विपक्षी संख्या-1 राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में कोई अवैधानिकता, अनियमितता नहीं है और न ही बिना

न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किये आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। अतएव पुनरीक्षण निरस्त होने योग्य है।

7. विपक्षीगण संख्या-2 ता 5 की ओर से विगत कई तिथियों से कोई उपस्थित नहीं है। अतः पुनरीक्षणकत्री के विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षी संख्या-1 राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्कों को सुनकर तथा गुण-दोष के आधार पर पत्रावली एवं उपलब्ध प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन करते हुए हस्तगत पुनरीक्षण का निस्तारण किया जा रहा है।

8. हस्तगत प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि विवेचना के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विवेचक द्वारा आरोप-पत्र प्रेषित किया गया है, जिस पर विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 17.10.2024 को संज्ञान लिया जा चुका है और पत्रावली वास्ते आरोप हेतु नियत है। पुनरीक्षणकत्री द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र वास्ते अग्रेत्तर विचारण विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश दिनांक 18.01.2025 द्वारा निरस्त किया जा चुका है।

9. धारा 193(9) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (पूर्व धारा 173(8) दं०प्र०सं०) न्यायालय को अग्रेत्तर विवेचना का निर्देश देने की शक्ति प्रदान करती है परन्तु यह शक्ति प्रत्येक मामले में प्रयोग किये जाने हेतु नहीं है वरन् इसका प्रयोग तभी किया जाना चाहिए जब न्यायालय को अभिलेख से प्रथम दृष्टया प्रतीत हो कि किसी महत्वपूर्ण तथ्य की विवेचना शेष रह गई है अथवा न्यायहित में अग्रेत्तर विवेचना अपरिहार्य है। हस्तगत प्रकरण में पुनरीक्षणकत्री द्वारा जिन तथ्यों का उल्लेख किया गया है वे मुख्यतः मोबाइल लोकेशन का मूल्यांकन, मेडिकल परीक्षण न होने, कुछ अभियुक्तों का विवेचक द्वारा नाम हटाए जाने से संबंधित है। अभिलेख के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि पुनरीक्षणकत्री द्वारा प्रार्थनापत्र में उठाए गए विभिन्न तथ्यों एवं आधारों का गुणदोष के आधार पर स्वतन्त्र परीक्षण नहीं किया गया है, बल्कि विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश दिनांकित 18.01.2025 में यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि संज्ञान लिये जाने के उपरान्त अग्रेत्तर विवेचना का आदेश किये जाने का कोई विधितः औचित्य प्रतीत नहीं होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **विनु भाई हरीभाई मालवीय बनाम गुजरात राज्य 2019(17) एस०सी०सी० 1** तथा **अनन्त थानुर बनाम महाराष्ट्र राज्य (2023) 3 एस०सी०आर० 56** में यह प्रतिपादित किया गया है कि संज्ञान लिये जाने के पश्चात भी न्यायालय आवश्यक होने पर विवेचना का निर्देश दे सकती है। इस प्रकार विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट का यह निष्कर्ष कि संज्ञान लिये जाने के उपरान्त अग्रेत्तर विवेचना का आदेश किये जाने का कोई विधितः औचित्य प्रतीत नहीं होता है, माननीय उच्चतम न्यायालय की उपरोक्त सन्दर्भित निर्णयज विधि में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में विधि सम्मत नहीं है। इस न्यायालय द्वारा प्रथम बार उन तथ्यों (मोबाइल लोकेशन का मूल्यांकन, मेडिकल परीक्षण न होना, कुछ अभियुक्तों का विवेचक द्वारा नाम हटाया जाना) का परीक्षण करना उचित नहीं होगा, क्योंकि उक्त अधिकार एवं दायित्व मूलतः विचारण न्यायालय का है। जहां तक प्रश्नगत आदेश में विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उल्लिखित इस तथ्य का प्रश्न है कि उनके अभिमत में अग्रेत्तर विवेचना का आदेश दिया जाना न्यायोचित नहीं है, यह

उल्लेखनीय है कि आक्षेपित आदेश के अवलोकन से यह किसी प्रकार से स्पष्ट नहीं होता है कि विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट का अभिमत किन सुसंगत तथ्यों एवं युक्तियुक्त आधारों पर निर्भर है। उपरोक्त परिस्थितियों में यह पुनरीक्षण इस प्रेक्षण के साथ स्वीकार किये जाने योग्य है कि विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट संकलित किये गये साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में पुनरीक्षणकत्री (शिकायतकर्ता) के प्रार्थनापत्र में उल्लिखित किये गये कथनों पर विचार कर सकारण एवं सुस्पष्ट आदेश नए सिरे से पारित करें।

आदेश

दाण्डिक पुनरीक्षण स्वीकृत किया जाता है।

विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश दिनांक 18.01.2025 निरस्त किया जाता है।

प्रकरण विद्वान सिविल जज (सी०डि०)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बलरामपुर इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह धारा 193(9) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अन्तर्गत पुनरीक्षणकत्री के प्रार्थनापत्र पर अग्रेत्तर विवेचना के संबंध में विधि की सही स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रार्थनापत्र में उठाए गए प्रत्येक महत्वपूर्ण आधार पर सुस्पष्ट एवं सकारण आदेश पारित करें।

विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय की पत्रावली इस निर्णय/आदेश की प्रति सहित अविलम्ब संबंधित मजिस्ट्रेट न्यायालय को वापस की जाये।

दिनांक-20.07.2026

(उत्कर्ष चतुर्वेदी)
सत्र न्यायाधीश,
बलरामपुर।

आज यह निर्णय, मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक-20.07.2026

(उत्कर्ष चतुर्वेदी)
सत्र न्यायाधीश,
बलरामपुर।